न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15 / 2020 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती मोती बाई पुत्री स्वर्गीय अमरा जी डांगी पत्नी श्री माना डांगी, निवासी भलों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मेघराज पिता वक्ता जी डांगी, निवासी भलों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. कन्हैयालाल पिता वक्ता जी डांगी, निवासी भलों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती मगु बाई बेवा स्वर्गीय उमा जी डांगी, निवासी गांव महाराज जी की खेड़ी, काटको का कुंआ, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. सवा पिता उमा जी डांगी, निवासी गांव महाराज जी की खेड़ी, काटको का कुंआ, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती रूकमणी बाई बेवा स्वर्गीय भैरा जी डांगी, निवासी गांव महाराज जी की खेड़ी, काटको का कुंआ, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. दिलीप कुमार पिता स्वर्गीय भैरा जी डांगी, निवासी गांव महाराज जी की खेड़ी, काटको का कुंआ, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. भरत कुमार पिता स्वर्गीय भेरा जी डांगी नाबालिग संरक्षक माता श्रीमती रूकमणी बाई बेवा स्वर्गीय भैरा जी डांगी, निवासी गांव महाराज जी की खेड़ी, काटको का कुंआ, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. सुरेश कुमार पिता स्वर्गीय भेरा जी डांगी नाबालिग संरक्षक माता श्रीमती रूकमणी बाई बेवा स्वर्गीय भैरा जी डांगी, निवासी गांव महाराज जी की खेड़ी, काटको का कुंआ, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती देउ बाई पुत्री स्वर्गीय उमा जी डांगी पत्नी डालू जी डांगी, निवासी ओरडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती हुडी बाई पुत्री स्वर्गीय उमा जी डांगी पत्नी वरदा जी डांगी, निवासी मदेसर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती वक्ती बाई पुत्री स्वर्गीय उमा जी डांगी पत्नी माना जी डांगी, निवासी महाराज जी की खेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती वरदी बाई पुत्री स्वर्गीय उदा जी डांगी पत्नी भेरा जी डांगी, निवासी लकड़वास, सेजो की भागल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

12 / 1. लच्छीराम पिता स्वर्गीय भेरा जी डांगी, निवासी लकड़वास, सेजो की भागल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

13. डॉ डाल चन्द डांगी पिता स्वर्गीय कालू जी डांगी, निवासी गांव झंझेला, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल पता आयड, राष्ट्रदूत अखवार की गली, उदयपुर (राज.)
14. दौलतराम पिता स्वर्गीय कालू जी डांगी, निवासी गांव झंझेला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
15. कमल चन्द पिता स्वर्गीय कालू जी डांगी, निवासी गांव झंझेला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
16. श्रीमती अमरी बाई पुत्री स्वर्गीय कालू जी डांगी पत्नी भंवर जी डांगी, निवासी गांव आसणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्रीमती रूपी बाई पुत्री स्वर्गीय कालू जी डांगी पत्नी मोहन जी डांगी, निवासी गांव नरदासिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
18. श्रीमती सोहन बाई पुत्री स्वर्गीय कालू जी डांगी पत्नी गोपाल जी डांगी, निवासी खारा कुंआ, सेन्ट ग्रेगोरियस के सामने, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0—1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 10.12.2019 प्र.सं. 126/18

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

———:::———

निर्णय **दिनांक 31—03—2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव साकरोदा में वादीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 3863 रकबा 0.6900 जिसके साबिक आराजी नंबर 2465/2 रकबा 18 बिस्वा एवं साबिक आराजी नंबर 2466 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा थे। उक्त आराजी में वादीया का 1/2 हिस्सा होकर काबिज काश्त है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। सजरे अनुसार टीला पिता गोपा के दो पुत्र अमरा व हेमा हुए एवं दोनों की मृत्यु हो चुकी है। हेमा लाऔलाद फोत होने से उसकी कुलिया जायदाद की बक्षीस वादीया के पक्ष में कर दी तथा अमरा की वारिस तीन पुत्रियां लीलाबाई प्रतिवादी संख्या 19, सवा बाई प्रतिवादी संख्या 20 एवं वादीया मोतीबाई हुई। अमरा ने भी अपने जीवनकाल में पंजीकृत दान पत्र से अपनी भूमि वादिया के पक्ष में निष्पादित कर दी। इस प्रकार अमरा एवं हेमा की एक मात्र वारिस होकर काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजियात में उदा पिता भगवाना का 1/6 हिस्सा था जो उसके द्वारा दिनांक 01–07–1957 को जरिये पंजीकृत विलेख वादिया मोती के पिता एवं काका अमरा व हेमा को कर दिया तब से उक्त आराजियात पर वादया व उसके पूर्वाधिकारी काबिज चले आ रहे हैं एवं उक्त आराजियात में उदा के अथवा उसके वारिसान का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा, किन्तु उदा की मृत्यु पर विरासत से उमा, कजोड़ी एवं वरदी का 1/6 हिस्सा दर्ज हो गया जो बिना अधिकार के है। उमा व वरदी द्वारा 2/18 हिस्सा दिनांक 26–12–2011 को मेघराज एवं कन्हैयालाल जो प्रतिवादी संख्या 1 च 2 हैं, के पक्ष में विक्रय कर दिया गया, जो वादिया के मुकाबले अवैध एवं शून्य है। राजस्व रेकार्ड में कजोडी का 1/18 हिस्सा दर्ज है, जो गलत है। अतः निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 3863 रकबा 0.6900 हैक्टर में वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में उमा, कजोड़ी व वरदी का 1/6 हिस्सा तथा अमरा पिता टीला का 1/3 हिस्सा दर्ज, उनका नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादिया के नाम दर्ज किया जावे। विक्रय विलेख दिनांक 26–12–2011 से जो 2/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम है, उसे अवैध व शून्य घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 13–06–2016 से वादिया का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादिया द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–07–2018 से वादिया की अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः पक्षकारों को सुनकर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया, जिसकी पालना में प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 10–12–2019 से वादिया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07–02–2020 को प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह मानने में भूल की है कि उदा अपनी भूमि का विक्रय नहीं कर सकता क्योंकि वह मौरूसी है इसलिए विक्रय डीड के आधार पर वादी का वाद पोषणीय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। वादिया के अभिवचनों का कोई खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहीं किये जाने से कोई तनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

कायम नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय से आराजी नंबर 3863 रकबा 0.6900 हैक्टर जिसके साबिक आराजी नंबर 2465/2 दव 2466 किता 2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में वादिया का 1/3 हिस्सा जो विरासत से पुश्तैनी है, उस हद तक तो वादिया का वाद स्वीकार किया है, किन्तु उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा जो वादिया के पिता व चाचा क्रमशः अमरा व हेमा द्वारा उदा से दिनांक 01–07–1957 को क्रय किया गया है उसे उदा को विक्रय करने का अधिकार नहीं होना मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा आराजी नंबर 3863 रकबा 0.6900 हैक्टर में उदा, कजोडी, वरदी पिता उदा के नाम दर्ज 1/6 हिस्से का वादिया को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में उदा, कजोडी, वरदी पिता उदा का नाम हटाकर वादिया का नाम दर्ज किया जावे एवं विक्रय विलेख दिनांक 26–12–2011 में वादग्रस्त भूमि का जो 2/18 मेघराज व कन्हैयालाल के पक्ष में विक्रय किया गया है वह वादिया के मुकाबले शून्य घोषित किया जावे तथा वादिया/अपीलान्ट के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में अमरा व हेमा द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये बक्षीसनामे को सही मानते हुए उक्त भूमि का खातेदार अपीलान्ट को घोषित किया है, किन्तु प्रदर्श 2 अनुसार वादग्रस्त भूमि मौरूसी होने से उदा पिता भगवाना को विक्रय करने का अधिकारी नहीं मानते हुए विक्रय डीड के आधार पर अपीलान्ट/वादिया का वाद पोषणीय नहीं माना है जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नजीरें 1998 (6) सुप्रिम पेज 509 एवं 1997 (2) सी.सी.सी. (एस.सी.) पेज 312 वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती मोतीबाई पुत्री स्व. अमरा डांगी निवासी भलो का गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **मेघराज पिता वक्ता डांगी, निवासी भलो का गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**15/2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**10**.....माह.....**12**.....**2019**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**31**.....माह.....**03** सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मन्नाराम डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... .....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**31**.....माह.....**03**.....**2021** को जारी किया गया।

(एम. एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested